अध्यापकों की बुद्धि तथा निर्णय निर्माण क्षमता में सम्बन्ध का अध्ययन

डॉ. अनुराधा शर्मा*

सारांश

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो बच्चे के भीतर छिपे गुणों को बाहर निकालने का कार्य करती है। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए समय–समय पर निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसकी सफलता अध्यापकों की निर्णय निर्माण क्षमता पर निर्भर करती है तथा निर्णय निर्माण क्षमता का बुद्धि से भी गहरा संबंध है। इसका अध्ययन करने का इस शोध कार्य में प्रयास किया गया है। शोध का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की बुद्धि का निर्णय निर्माण क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन करना है। यह शोधकार्य सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है तथा 100 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में शामिल किया गया है। आंकड़ों का संकलन करने के लिए जलोटा का सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण तथा सर्वनिर्मित निर्णय निर्माण मापनी का उपयोग किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण मध्यमान, मानक विचलन, टी–मूल्य तथा प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध द्वारा किया गया, जिससे निष्कर्ष निकाला गया है कि अध्यापकों की बुद्धि उनकी निर्णय निर्माण क्षमता को प्रभावित करती है।

प्रस्तावना

जन्म के समय बालक असामाजिक एवं असहाय होता है। उसकी न कोई संस्कृति होती है, न कोई आदर्श, किन्तु जैसे–जैसे वह बड़ा होता जाता है, वह सामाजिक प्राणी बनता जाता है, किन्तु उसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव बनाने में शिक्षा की महत्ती भूमिका होती है। शिक्षा व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गान्तरीकरण करके उसे समाज का एक सक्रिय सदस्य बनाती है, जिससे वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकता है।

शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और छात्र दोनों का परस्पर सहयोग होता है। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। योगीराज अरविन्द घोष कहते हैं कि, ''अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं, ये संस्कार की जड़ों में अपने ज्ञान की खाद देते हैं और अपने श्रम से सींचकर उन्हें महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं।'' वहीं अध्यापक की शिक्षण प्रभावशीलता उनकी बुद्धि से प्रभावित होती है।

बुद्धि

वैयक्तिक भिन्नताओं के आधारों में से एक प्रभावशाली कारक बुद्धि या मानसिक योग्यता है। यह एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न रखती है। हम दैनिक जीवन में कहते हैं कि वह एक अच्छा शिक्षक है, वह श्रेष्ठ पत्रकार है या वह सफल व्यापारी है।

बुद्धि की परिभाषाएँ

पिन्टर के अनुसार, ''जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है।''

रायबर्न के अनुसार, ''बुद्धि वह शक्ति है, जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। मोटे तौर पर इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता, अमूर्त चिन्तन की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, सम्बन्धों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण में सामंजस्य करने की योग्यता है।

निर्णय निर्माण क्षमता

निर्णय प्रक्रिया एक तरह का समस्या समाधान व्यवहार होता है, जिसमें व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं, जिनमें से उसे किसी एक को चुनना होता है। निर्णय, प्रक्रिया का प्राथमिक व सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। निर्णय, प्रक्रिया का प्राथमिक व सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। निर्णय प्रक्रिया ''प्रबन्ध का हृदय है। इसके बिना प्रबन्ध का कोई महत्व नहीं है। यह एक केन्द्र बिन्दु है, जिसकी परिधि के रूप में प्रबन्ध क्रिया चलती है। भावी कार्यक्रम के प्रति निर्णय एक प्रकार से पूर्वानुमान है, समस्याओं के समाधान के लिए सही समय पर उचित ''निर्णय लेना'' आवश्यक है।

*एसिसटैंट प्रोफेसर, भारती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निर्णय निर्माण क्षमता का अर्थ

निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ ''काट देने'' से लगाया जाता है, अर्थात् इसके टक्कर का कोई विकल्प नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से इसका अर्थ ''किसी निष्कर्ष पर आने'' से लगाया जाता है। यथार्थ में निर्णय एक चयन प्रक्रिया है।

परिभाषाएँ

''निर्णय प्रक्रिया में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है और उनमें से कुछ को चुन लिया जाता है।''

– सैन्ड्रोक

''किसी प्रक्रिया को करने हेतु विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का वास्तविक रूप में चयन किया जाना ही निर्णय लेना है।''

– कूष्ट्य एवं डौनेल

''निर्णय प्रक्रिया एक तरह का समस्या समाधान है, जिसमें हम लोगों को कई विकल्प दिये जाते हैं, जिसमें हम लोगों को चुनना होता है।''

– मार्गन, किंग, विस्ज एवं स्कौपलर

स्पष्ट हुआ है कि निर्णय प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन कर मौजूद समस्या का समाधान करता है। निर्णय प्रक्रिया की एक विशेषता यह है कि इसमें लोग ऐसे निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, जो आत्मनिष्ठ रूप से प्रत्याशित उपयोगिता को अधिक से अधिक बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया में विभिन्न विकल्पों में से एक का चयन करके, उसकी उपयोगिता एवं आत्मनिष्ठ प्रसंभाव्यता को ध्यान में रखते हैं, उन्हें एक साथ गुणा करते हैं और उस विकल्प को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं, जिसका उत्पाद सबसे अधिक होता है।

शोध की उपादेयता

शैक्षिक जगत में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी का प्रयोग दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक भी है, परन्तु अध्यापकों द्वारा इनका प्रयोग करने के लिए जरूरी है कि वे इनसे परिचित हों तथा इस हेतु उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया हो, लेकिन उपरोक्त प्रक्रियाओं की सफलता अध्यापकों की मानसिक योग्यता पर निर्भर करती है। अध्यापक प्रक्रिया अथवा विद्यालय समय के दौरान अध्यापकों को अनेक प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे निर्णय निर्माण क्षमता का विकास होता है। यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या अध्यापकों की बुद्धि और निर्णय निर्माण क्षमता एक–दूसरे से सम्बन्धित है अथवा बुद्धि, निर्णय–निर्माण क्षमता पर प्रभाव डालती है या नहीं।

चूंकि अध्यापकों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः अध्यापकों की निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर बुद्धि के प्रभाव की संभावना बराबर बनी रहती है।

प्रस्तुत अध्ययन अध्यापकों की बुद्धि व निर्णय–निर्माण क्षमता में सम्बन्ध बताने में सहायक होगा।

समस्या अभिकथन

''अध्यापकों की बुद्धि तथा निर्णय–निर्माण क्षमता में सम्बन्ध का अध्ययन''

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है :–

1. माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी अध्यापकों की बुद्धि का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर–सरकारी अध्यापकों की निर्णय–निर्माण क्षमता का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की बुद्धि का निर्णय–निर्माण क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शोधकर्त्री द्वारा निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है :–

1. माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी अध्यापकों की बुद्धि में सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी अध्यापकों की निर्णय–निर्माण क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

3. माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की बुद्धि का निर्णय निर्माण क्षमता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

परिसीमन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने समस्या क्षेत्र को निम्नांकित प्रकार से परिसीमित किया है :–

1. प्रस्तुत शोध को राजस्थान के श्रीगंगानगर क्षेत्र तक सीमित रखा गया है।
2. प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में 100 अध्यापकों को सम्मिलित किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध को माध्यमिक स्तर के अध्यापकों तक सीमित रखा गया है।
4. प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी अध्यापकों को लिया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने अपनी अध्ययन समस्या के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वर्णनात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श

इस शोध के न्यादर्श को निम्न तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है :–

सारिणी संख्या 1

क्र.सं.	अध्यापक	अध्यापकों की संख्या
1.	सरकारी अध्यापक	50
2.	गैर–सरकारी अध्यापक	50
	कुल	**100**

1. प्रस्तुत शोध में न्यादर्श हेतु श्रीगंगानगर के 100 अध्यापकों को लिया गया है।
2. इस शोध अध्ययन में 50 सरकारी तथा 50 गैर सरकारी अध्यापकों को लिया गया है।

उपकरण

इस शोध में आंकड़ों का संकलन करने के लिए निम्नलिखित मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग किया गया है :–

1. बुद्धि मापन हेतु – डॉ. श्याम स्वरूप जलोटा का सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण

सांख्यिकी प्रविधियाँ

शोधकर्त्री द्वारा आंकड़ों का संकलन करने हेतु निम्नलिखित सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है:–

1. मध्यमान
2. मानक विचलन
3. क्रान्तिक अनुपात
4. प्रोडक्ट मोमेन्ट सहसंबंध

विश्लेषण

प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :–

माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी अध्यापकों की बुद्धि के आंकड़ों को दर्शाती सारणी

सारिणी संख्या – 2

क्र. सं.	अध्यापक	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	क्रान्तिक अनुपात	परिणाम
1.	सरकारी अध्यापक	50	68.50	11.21	2.34	0.68	स्वीकृत
2.	गैर–सरकारी अध्यापक	50	66.92	12.15			

उपरोक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि सरकारी व गैर–सरकारी अध्यापकों के बुद्धि के आंकड़ों का मध्यमान क्रमशः 68.50 तथा 66.92 और मानक विचलन क्रमशः 11.21 तथा 12.15 तथा मानक त्रुटि 2.34 के आधार पर क्रान्तिक अनुपात 0.68 प्राप्त हुआ है, जो स्वतन्त्रता की कोटि 98 के आधार पर 0.05 के मान 1.98 से कम है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकारी व गैर सरकारी अध्यापकों में बुद्धि के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः परिकल्पना संख्या 1 ''माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी अध्यापकों की बुद्धि में सार्थक अन्तर नहीं होता है'' स्वीकृत होती है।

माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी अध्यापकों की निर्णय निर्माण क्षमता के आंकड़ों को दर्शाती सारणी